# प्रेस नोट - थाना रोजा

## जनपद शाहजहाँपुर

### सराहनीय कार्य दिनांक 02.11.2026

## थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा चोरी का लोहा खरीदने वाले अभियुक्त को 1.78 कुंतल चोरी के स्क्रैप लोहे सहित गिरफ्तार किया गया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार,श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष थाना रोजा के नेतृत्व में चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी, वांछित/वारंटी एवं जिला बदर अपराधियों की तलाश, अवैध शराब एवं अवैध शस्त्रों की बरामदगी, अफीम एवं चरस की बिक्री/निर्माण पर रोकथाम तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग एवं गश्त हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

**संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 02.11.2026 को वादी श्री दीपक शर्मा पुत्र राकेश कुमार शर्मा निवासी मोहल्ला तारीन टिकली, थाना सदर, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना रोजा पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 23.10.2026 को एस0आर0 इंजीनियरिंग, हथौड़ा बुजुर्ग से हजारों रुपये का लोहा चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रोजा पर मु०अ०सं० 490/26 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 1. सुमित पुत्र अशोक निवासी खंडेलवाल वाली गली, थाना रोजा, शाहजहाँपुर, 2. अंकुर पुत्र ठाकुर निवासी कैलाश नगर कॉलोनी, निकट रमाकान्त की चक्की, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर एवं 3. बाचू पुत्र जगदीश निवासी मोहल्ला कैलाश नगर कॉलोनी, जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा अभियोग के अनावरण हेतु सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन एवं सुरागरसी-पतारसी की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 02.11.2026 को पुलिस टीम शांति व्यवस्था एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी का स्क्रैप लोहा जिस व्यक्ति द्वारा खरीदा गया था, वह उसे बिक्री हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला है। प्राप्त सूचना पर थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा वादी को साथ लेकर मोहम्मदी रोड से ग्राम बसुलिया जाने वाले मार्ग पर हड्डी मिल तिराहे से लगभग 50 कदम पहले स्थित कबाड़ की दुकान पर पहुंचकर बरामद लोहे की तस्दीक कराई गई, जहां वादी द्वारा उक्त लोहे को अपना चोरी हुआ माल होना बताया गया। पुलिस टीम द्वारा कबाड़ की दुकान से कुल 1.78 कुंतल स्क्रैप लोहा (अलग-अलग 06 कट्टों में) बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त नदीम पुत्र शफी अहमद निवासी मोहल्ला कैलाश नगर कॉलोनी, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र 20 वर्ष को दिनांक 02.11.2026 को समय करीब 12:50 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

नदीम पुत्र शफी अहमद निवासी मोहल्ला कैलाश नगर कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर (उम्र 20 वर्ष)

**गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:**

दिनांक 02.11.2026 को समय 12.50 बजे,मोहम्मदी रोड से ग्राम बसुलिया जाने वाले रोड पर हडडी मिल तिराहे से 50 कदम पहले कबाडे की दुकान।

**पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

मु0अ0सं0 490/26 धारा 303(2),317(2) BNS थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर ।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त नदीम-**

मु0अ0सं0 490/26 धारा 317(2) BNS थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर ।

**बरामदगी का विवरणः-**

1.78 कुन्टल लोहा स्क्रैब

**पूछताछ का विवरणः-**

पूछताछ के दौरान अभियुक्त नदीम पुत्र शफी अहमद उपरोक्त द्वारा बताया गया कि उसकी मोहम्मदी रोड से ग्राम बसुलिया जाने वाले मार्ग पर हड्डी मिल तिराहे से लगभग 50 कदम पहले कबाड़ की दुकान है। उक्त स्क्रैप लोहे को सुमित पुत्र अशोक, अंकुर पुत्र ठाकुर एवं बाचू पुत्र जगदीश निवासीगण मोहल्ला कैलाश नगर कॉलोनी, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा चोरी करके उसे बेचा गया था। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने उक्त लोहा सस्ते दामों पर मिलने के कारण खरीद लिया था। उक्त व्यक्ति पूर्व में भी कई बार उसके पास चोरी का सामान लेकर आए थे, हालांकि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे लोग उक्त सामान कहाँ से चोरी करके लाते थे।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-**

1) थानाध्यक्ष उमेश कुमार मिश्र, थाना रोजा, शाहजहाँपुर।
2) उ0नि0 सागर थाना रोजा शाहजहाँपुर।
3) हे0का0 विनोद कुमार थाना रोजा शाहजहांपुर।
4) का0 सहदेव नागर थाना रोजा शाहजहांपुर।
5) का0 शिवम कुमार थाना रोजा शाहजहाँपुर।
6) का0 मनोज कुमार त्यागी थाना रोजा शाहजहाँपुर।